राजस्

राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

प0क्र:–9(6)राज–6/2000/1 जयपुर, दिनांक: 11.1.2008

समस्त संभागीय आयुक्त, राज0।
समस्त जिला कलेक्टर,राज0।

परिपत्र

इस विभाग के परिपत्र क्र0 9(6)राज–6/2000/2 दि0 30.1.2006 के द्वारा अधिसूचित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सिवायचक एवं अन्य गैर मुमकिन राजस्व भूमियों पर दि0 1.1.1995 से पूर्व आवास गृह व जानवरों के बाड़े बनाकर किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने के निर्देश जारी किये गये थे। अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दि0 1.1.1995 की अवधि को बढ़ाकर दि0 1.1.2000 कर दिया जायें।

1. निम्न प्रकार की/सीमाओं में स्थित भूमियां नियमन योग्य नहीं है:–
   - (i) जयपुर नगर निगम की सीमाओं की 10 मील,
   - (ii) राज0 नगरपालिका अधि0 1959 के यथापरिभाषित किसी अन्य शहर की छः मील,
   - (iii) किसी अन्य नगरपालिका के तीन मील,
   - (iv) ऐसे किसी क्षेत्र के दस मील जिसके लिए राज्य सरकार ने राज0 अरबन इम्प्रूवमेंट एक्ट, 1959 की धारा 3 क अधीन जारी किये गये आदेश द्वारा नगर सर्वेक्षण करने तथा मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है,
   - (v) ऐसे किसी नगर, कस्बे, ग्राम अथवा अन्य क्षेत्र जिसमें एक करोड़ रूपये से अधिक की लागत से कोई उद्योग स्थापित किया गया है या स्थापित करने का प्रस्ताव है या ऐसे क्षेत्र जो इस अभिप्राय के लिये सरकार द्वारा नियत किया जाय, पांच मील,
   - (vi) रेल्वे सीमा अथवा राष्ट्रीय राजपथ अथवा राज्य सरकार अथवा पंचायत द्वारा संधारित किसी सड़क के 100 गज,
   - (vii) वन विभाग के नाम दर्ज भूमि,
   - (viii) चारागाह, औरण, जोहड़, पायतन, नदी, तालाब के पेटे, श्मशान, कब्रिस्तान व मन्दिरों की भूमियां,
   - (ix) डी.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम् स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य निर्णय दिनांक 2.8.2004 में वर्णित भूमियां,
   - (x) किसी उद्देश्य हेतु अवाप्तिशुदा भूमियां,
   - (xi) राजकीय उपक्रम या राजकीय विभाग की भूमियां,
   - (xii) स्थानीय निकायो की शहरी व पेरीफेरी क्षेत्रों में स्थित सरकारी भूमियां एवं
   - (xiii) कोई अन्य क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये,